राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
शुद्धि पत्र संख्या – 1/2009–10

दिनांक : 01.07.2009

आयोग के विज्ञापन संख्या–5/2008–09 दिनांक 07.06.08 की पद क्रम संख्या 03 से 08 पर मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के लिए विभिन्न विषयों में प्राध्यापक के पद विज्ञापित किये गये थे जो कि निम्नानुसार से हैं :–

पद क्रम संख्या	पद/विषय का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)		
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति
3.	प्राध्यापक–मौलिक सिद्धान्त	1	1	–	–	–
4.	प्राध्यापक– शरीर क्रिया	1	1	–	–	–
5.	प्राध्यापक– रस शास्त्र	1	1	–	–	–
6.	प्राध्यापक– प्रसूति स्त्री रोग	2	2	–	–	–
7.	प्राध्यापक– काय चिकित्सा	3	3	–	–	–
8.	प्राध्यापक– शल्य शालाक्य तंत्र	1	1	–	–	–

उपरोक्त पदों के सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि :–

1. उक्त पदों के संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन में दर्शाई गई योग्यता के संबंध में शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर अब इन पदों की शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नानुसार पढ़ी जावें:–

   शैक्षणिक योग्यताएँ :–

   (1) आयुर्वेद बृहस्पति/आयुर्वेद वाचस्पति : एम.डी.आयुर्वेद संबंधित विषय में/पीएच.डी. संबंधित विषय में **अथवा** तात्कालीन शिक्षा विभाग, जयपुर स्टेट **अथवा** राजस्थान की वर्ष 1962 तक की भिषगाचार्य परीक्षा **अथवा** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेद में साथ में संस्कृत का अच्छा ज्ञान।
   अनुभव :– डिमोंस्ट्रेटर/ट्यूटर/क्लिनिकल रजिस्ट्रार पद का संबंधित विषय में तीन वर्ष का अनुभव ।

   (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
   नोट :– प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

   अतः आवेदक उपरोक्त संशोधित योग्यता के अनुसार इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. पूर्व में उक्त विज्ञापन की पदक्रम संख्या 8 पर " प्राध्यापक–शल्य शालाक्य तन्त्र " के पदनाम से एक पद विज्ञापित किया गया था जिसके स्थान पर अब पदनाम " प्राध्यापक–शालाक्य तंत्र " पढ़ा जावे। अतः "शालाक्य तंत्र" के पद हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता धारकों से आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। जिन आवेदकों ने पूर्व में पद क्रम संख्या 8 के तहत आवेदन किया था उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये है तथा सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क लौटा दिया जावेगा।
3. आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या : 5/2008–09 (संक्षिप्त विज्ञापन) जो कि राजस्थान राज्य के विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ था, में पदक्रम सं. 3 से 8 की प्रकाशित "आयु–न्यूनतम 22 वर्ष एवं अधिकतम 47 वर्ष से कम" के स्थान पर **अब " आयु–न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम " पढ़ी जावे।**
4. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 23.09.08 को जारी कर यह प्रावधान लागू किया गया है कि :–
   "यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था। तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह तीन वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

   उक्त अधिसूचना के तहत यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा इन सभी विषयों के पदों का वर्ष 1997–98 के पश्चात् कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.10 को अधिकायु के होते है, उन्हें उक्त प्रावधान के तहत अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट (45+3=48 से कम) देय होगी। अतः ऐसे आवेदक भी आवेदन कर सकते है । यह छूट पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी देय होगी।
5. इन पदों हेतु आयोग कार्यालय में **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 22.07.2008 से बढ़ाकर अब दिनांक 30.07.2009 कर दी गई है।** अतः आवेदकों के आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुँचने की अन्तिम दिनांक 30.07.2009 (30 जुलाई ,2009) को सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) पहुँच जाने चाहिये। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
6. जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 05/2008–09 के तहत पद क्रम संख्या 3 से 7 के पदों हेतु आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
7. इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की **आयु दिनांक 01.01.2010 को आंकी जावेगी।**
8. विज्ञापन की अन्य शर्तें विज्ञापन संख्या–5/2008–09 के अनुसार यथावत होगी।
9. आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क :–
   पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित **O.M.R.Application Form** एवं विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य मय परीक्षा शुल्क उक्त विज्ञापन में दर्शाये अनुसार लिया जावेगा ।
10. आवेदन कैसे करें :–
    1. आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉउन्टर/स्वागतकक्ष एवं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **OMR Application Form** एवं विस्तृत आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं ।
    2. **आवेदन–पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें।** आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन–पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के **O.M.R.Application Form** एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे **O.M.R.Application Form** एवं विस्तृत आवेदन–पत्र को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

विशेष नोट :– ओ.एम.आर. शीट के कॉलम संख्या 11 में आवेदित पद की क्रम संख्या अवश्य अंकित करें। पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा ओ.एम.आर. शीट में भरे गये पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जायेगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिये जाने की स्थिति में उसकी ओ.एम.आर. शीट रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

आयोग की वेबसाइटः–

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध विज्ञापन संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

(के.के. शर्मा)
सचिव

<u>विस्तृत विज्ञापन</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

<u>विज्ञापन संख्या : 5/2008–09</u>

विज्ञापन संख्या :– 5/संयुक्त विज्ञापन /भर्ती/2008–09 **दिनांक : 07.06.2008**

1. निम्नलिखित पदों के लिये निर्धारित O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र पर प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जाते है। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है :–

पद क्रम संख्या – 1 : चौदह (14) सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकीय विभाग के पदों की राजस्थान आर्थिक सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 अन्तर्गत भर्ती । पद स्थाई हैं। **<u>पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–</u>**

पद क्रम सं0	कुल रिक्त पदों की सं.	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्तजन
				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	14	7	2	2	&	1	&	2	&	1 (P.D.)

<u>नोटः–</u>

1. उपरोक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दर्शाये गये आरक्षित पद बैकलॉग के पद है जो कि दिनांक 10.10.02 के पूर्व के हैं, के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22–6–2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों से) भरा जावेगा । इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जावेगा।
2. <u>निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–</u>

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए विकलांगता की निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक ही पात्र होंगे :–

<u>Hearing Impairment</u>

P.D.- Partilly deaf

(ब) उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जायेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

(द) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

3. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

   <u>स्पष्टीकरण :–</u> किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

4. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

<u>शैक्षणिक योग्यताएँ</u> :–

(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि **या** कम से कम द्वितीय श्रेणी में सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि **या** कम से कम द्वितीय श्रेणी में गणित में स्नातकोत्तर उपाधि साथ सांख्यिकी एक पेपर हो **या** कम से कम द्वितीय श्रेणी में वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि साथ सांख्यिकी के **या** कम से कम

द्वितीय श्रेणी में एस.एससी. (कृषि) सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से **या** राज्य सरकार द्वारा मान्य इन योग्यताओं के समकक्ष विदेशी योग्यता

(2.) * **अनुभव** :– सरकारी विभाग के कार्य का या ख्याति प्राप्त वाणिज्य संस्थान या विश्वविद्यालय में आँकडे एकत्रित करने के कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव :

परन्तु जो अभ्यर्थी :

** **(क)** विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता में किसी एक विषय में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि **या** डाक्टरेट **या**

** **(ख)** मान्य सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय में सांख्यिकी में सफलतापूर्वक दो वर्ष की ट्रेनिंग की हो या

** **(ग)** मान्य विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स पास साथ ऐच्छिक विषय के रूप में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र **या**

** **(घ)** राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हो,

तो यह अनुभव आवश्यक नहीं है।

** **जो अभ्यर्थी उपरोक्त क, ख ,ग या घ की शर्त पूरी करते है उनकी योग्यताओं के साथ निम्न परन्तुक लागू होगा कि :**

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

(3.) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :– * प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु :– दिनांक 01-01-2009 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :–
   (क)– राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
   (ख)– सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और
   (ग)– राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति की महिला अभ्यर्थियों को पाँच वर्ष छूट देय होगी।
2. भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति की योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।
4. पूर्व निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त तो प्रार्थी मान्य विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यताओं के किसी एक विषय में डाक्टरेट उपाधि धारक होगा, को तीन वर्ष की छूट होगी।
5. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा ।
6. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा , चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
7. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा ।
8. राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।
9. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
   स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा ।
10. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
11. राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
12. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को सेवा नियमों के अधीन पहले से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित रूप से छूट दी जावेगी :– (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जावेगी । (ख) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जावेगी । (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

   नोट:– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु

सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

वेतनमान :– रूपये 6500-200-10500

'ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा ।"

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

पेंशन :– दिनांक 01–01–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। **कार्य** : शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्य । **मुख्यालय** : राजस्थान में कहीं पर भी। **महंगाई भत्ता** : नियमानुसार ।

पद क्रम संख्या – 2 : सोलह (16) **उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षा विभाग** के पदों की राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई हैं। **पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–**

पद क्रम सं0	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		निःशक्तजन
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
2-	16	6	2	1	&	3	1	3	&	(O.L)

नोटः–

1. **निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–**

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए विकलांगता की निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक ही पात्र होंगे :–

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.L.- One leg affected (R or L)

(ब) उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जायेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

(द) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

2. राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में किन्हीं भी परिस्थिति में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।
3. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यताएँ :–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी में द्वितीय श्रेणी में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता
2. एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
3. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान

नोट :– प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

<u>आयु</u> :– दिनांक 01-01-2009 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :–
   (क)– राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
   (ख)– सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और
   (ग)– राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति की महिला अभ्यर्थियों को पाँच वर्ष छूट देय होगी।
2. भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।
4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा , चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
5. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले को उनकी वास्तविक आयु में से उनकी सेवा की अवधि को जोकि उन्होंने एन. सी.सी. में की होगी, को घटना की अनुमति दी जावेगी और यदि परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा ।
6. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में 40 वर्ष होगी ।
7. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा ।
8. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
   <u>**स्पष्टीकरण**</u> : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा ।
9. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
10. राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
11. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को सेवा नियमों के अधीन पहले से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित रूप से छूट दी जावेगी :– (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जावेगी । (ख) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जावेगी । (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

<u>**नोट**</u>:– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

<u>**वेतनमान**</u> :– रूपये 8000-275-13500

'ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा । "

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

<u>**पेंशन**</u> :– दिनांक 01–01–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। <u>**कार्य**</u> : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी एवं कार्यालयाध्यक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी । <u>**मुख्यालय**</u> : राजस्थान में स्थित किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। <u>**महंगाई भत्ता**</u> : नियमानुसार।

मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर, आयुर्वेद विभाग के लिये विभिन्न विषयों में प्राध्यापक के पदों की राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 अन्तर्गत भर्ती । पद स्थाई हैं।

पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद क्रम सं0	पद/विषय का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)		
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति
3.	प्राध्यापक–मौलिक सिन्द्धात	1	1	–	–	–
4.	प्राध्यापक– शरीर क्रिया	1	1	–	–	–
5.	प्राध्यापक– रस शास्त्र	1	1	–	–	–
6.	प्राध्यापक– प्रसूति स्त्री रोग	2	2	–	–	–

7.	प्राध्यापक– काय चिकित्सा	3	3	–	–	–
8.	प्राध्यापक– शल्य शालाक्य तंत्र	1	1	–	–	–

पद क्रम संख्या 3 से 8 के लिये शैक्षणिक योग्यताएँ, वेतनमान एवं आयु आदि :–

शैक्षणिक योग्यताएँ :–

(1) आयुर्वेद बृहस्पति/आयुर्वेद वाचस्पति, एम.डी.आयुर्वेद संबंधित विषय में, पीएच.डी. संबंधित विषय में **अथवा** तात्कालीन शिक्षा विभाग, जयपुर स्टेट **अथवा** राजस्थान की वर्ष 1962 तक की भिषगाचार्य परीक्षा **अथवा** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेद में साथ में संस्कृत का अच्छा ज्ञान।

अनुभव :– डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर/क्लिनिकल रजिस्ट्रार पद का संबंधित विषय में तीन वर्ष का अनुभव

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :– प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु :– दिनांक 01.01.2009 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. रिजर्विस्ट जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में स्थानान्तरण हो गया हो के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।
3. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।
4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा , चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेगें।
5. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा ।
6. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
7. आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।
8. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(**स्पष्टीकरण** : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा ।)

नोट:– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 8 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :– (सभी पदों के लिये) रूपये 8000-275-13500

'ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा । "

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

पेंशन :– दिनांक 01–01–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। **कार्य** : अध्यापन कार्य । **मुख्यालय** : उदयपुर। **महंगाई भत्ता** : नियमानुसार ।

2. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक – आवेदन–पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक 22.**07.2008 (22 जुलाई, 2008)** सायं पांच बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) है, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भेजा जावें । एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन–पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन–पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन–पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।

3. संवीक्षा परीक्षा का स्थान एवं योजना :–

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा अजमेर (कोड सं.–1) में आयोजित कराये जाने की सम्भावना है। अतः आवेदक अजमेर जिले का कोड नम्बर OMR Application Form के कॉलम सं0 8 में भरे। **संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।**

आयोग के विवेकानुसार इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) या वर्णनात्मक (Descriptive Type) की हो सकती है।

4. आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क :–

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य मय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :–

(क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 300/– (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–)

(ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 200/–(परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको हेतु रूपये 100/– (इन वर्गो के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–लिया जा रहा है ।)

नोट :–

(1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

5. आवेदन कैसे करें :–

1. आवेदक **राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉउन्टर/स्वागतकक्ष से** आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **OMR Application Form** एवं विस्तृत आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं ।
2. **आवेदन–पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन–पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें।** आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन–पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
3. यदि आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से डाक के माध्यम से निर्धारित आवेदन–पत्र मंगवाना चाहता है तो आवेदन–पत्र प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व अपने वर्गानुसार मांग पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर्स निम्नानुसार भेजकर मंगवाये जा सकते हैं :–

(क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 350/– (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/–+ डाक व्यय रूपये 50/–)

(ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 250/–(परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/– + डाक व्यय रूपये 50/–)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको हेतु रूपये 150/– (इन वर्गो के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/– +विस्तृत आवेदन–पत्र का मूल्य रूपये 50/– + डाक व्यय रूपये 50/– लिया जा रहा है।)

नोट :– राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

6. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में** :– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने आवेदन–पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के

पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

7. <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

1 किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा

4 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा ।

5 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें ।

8. <u>कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :–</u>

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और ना ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें, यदि दो या दो ये अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिये। जो उम्मीदवार निम्नलिखित कारण से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है :–

1. किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
2. नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
3. किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा
4. जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए है जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
6. अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
9. परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
10. परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा
11. परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन/संचार यंत्र लाना मना है,
12. पूर्वोक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे –
(क) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार हैं अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा
(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
1. आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. <u>**श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा**</u> :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे । केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा <u>श्रुत लेखक</u> की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

10. <u>कृपया ध्यान दें :</u>

i. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें।

ii. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र प्रथम दृष्टया अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

iii. आवेदक श्रेणीवार तय किये गये आवेदन–पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन–पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन–पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

iv. आवेदक O.M.R. Application Form के ▯ कॉलम व O गोले भरने हेतु <u>केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें</u> ।

v. आवेदक आयोग को आवेदन–पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स ▯ में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले O एक समान हैं । गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन–पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें । अधूरा भरा O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

vi. OMR Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र आवेदन अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा । आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं । हस्तारयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

vii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन, O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि O.M.R.Application Form में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढ़ी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थाई (Provisional) प्रवेश दिया जावेगा ।

viii. O.M.R. Application Form को भरने के निर्देश के बिन्दु सं. 6 में वर्णित जिलों के अंकित कोड संख्याओं के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रतापगढ़ को नवीन जिला घोषित किया गया है जिसका आयोग द्वारा फिलहाल कोड सं. 33 आंवटित किया गया है। अतः ऐसा आवेदक जो प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत आता है वह O.M.R. Application Form के कॉलम सं. 7 में जिले का कोड़ सं. 33 अंकित करें।

ix. आयोग कार्यालय द्वारा O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी । O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

x. विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी । आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

xi. O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ अपने समस्त प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें ताकि पात्रता ऑकते समय कोई कठिनाई ना हो।

11 <u>**प्रमाण पत्रों का सत्यापन :–**</u> आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ भेजना आवश्यक है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/ नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं ।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जावेगा।

(द) राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र पर आवेदन करना होगा ।

(य) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो । अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा । पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

(र) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये ।

नोट :– आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है । जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

<u>आयोग की वेबसाइटः–</u>

उम्मीद्वार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

<u>विशेष टिप्पणी :–</u>

1. **आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है ।**
2. **इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाऐं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही है। अतः O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ आवेदकों को सूचना पत्रिका नहीं दी जावेगी।**
3. **आयोग को आवेदन–पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें : सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 302 026**

(आर.सी.एल.मीणा)
उप सचिव